

भाग-III

चर्मा-जौरासी से बजानी - 2.538 किमी⁰
(प्रस्ताव सख्या 7840/2014)

(सम्बन्धित वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है)

<p>14- स्थल, जहाँ की वन भूमि शामिल की गयी है क्या इसका सम्बन्धित वन संरक्षक ने निरीक्षण किया है? (हाँ/नहीं) यदि हाँ तो निरीक्षण की तारीख और किए गये प्रेक्षणों को, निरीक्षण नोट के रूप में संलग्न करें।</p>	<p>हाँ। दिनांक 07.02.2015</p>
<p>15- क्या सम्बन्धित वन संरक्षक भाग: ख में दी गयी सूचना और उप वन संरक्षक के सुझावों से सहमत है।</p>	<p>ऑन-लाइन प्रस्ताव के पार्ट-2 में सूचित वृक्षों की संख्या में भिन्नता होने के कारण इस कार्यालय के पत्रांक 1784/12-1 दिनांक 09.02.2015, पत्रांक 1965/12-1 दिनांक 25.02.2015 एवं पत्रांक 2043/12-1 दिनांक 02.03.2015 के क्रम में प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा पार्ट-2 में उनके द्वारा पूर्व में त्रुटिपूर्ण रूप से सूचित संख्या में अब संशोधन न हो सकने का उल्लेख कर प्रभावित होने वाले वृक्षों की वास्तविक संख्या की सूची संलग्न की गयी है। इस प्रकार प्रभावित होने वाले वृक्षों की कुल संख्या को संलग्न सूची के अनुरूप 204 मानते हुए पार्ट-2 में वृक्षों के सम्बन्ध में किये गये उल्लेख में इस स्तर तक संशोधन के साथ प्रभागीय वनाधिकारी के प्रस्ताव से सहमति व्यक्त की जाती है।</p> <p>इस कार्यालय की आपत्ति व इस सम्बन्ध में प्रभागीय वनाधिकारी से प्राप्त संशोधित सूचना की प्रति संलग्न की जा रही है।</p>
<p>16- प्रस्ताव की स्वीकृति या अन्यथा के बारे में सम्बन्धित वन संरक्षक की विस्तृत कारणों के साथ विशेष सिफारिशें।</p>	<p>जनहित में स्वीकृति हेतु संस्तुति की जाती है। प्रतिबन्ध यह होगा कि प्रश्नगत परियोजना में प्रभावित होने वाले 0-10 व 10-20 व्यास श्रेणी के सभी वृक्षों का प्रस्तावक विभाग द्वारा स्वयं के व्यय से निकटवर्ती उपलब्ध रिक्त क्षेत्रों में प्रत्यारोपण किया जायेगा तथा प्रत्यारोपित वृक्षों की सुरक्षा हेतु आवश्यक समुचित व्यवस्था भी सुनिश्चित की जायेगी।</p>

दिनांक:- 11.03.2015

स्थान:- अल्मोड़ा।

(संतोष विजय शर्मा)

वन संरक्षक

उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा

कार्यालय वन संरक्षक, उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा।

Email : cfkumaon_north@rediffmail.com , (05962) 231099 Fax : 230397

पत्रांक - 2043 / 12-1 अल्मोड़ा, दिनांक, 02.03.2015.

सेवा में,

प्रमाणीय वनाधिकारी
पिथौरागढ़ वन प्रभाग, पिथौरागढ़।

विषय :- चरमा-जौरासी से बजानी तक मोटर मार्ग निर्माण का प्रस्ताव
(प्रस्ताव संख्या-7840/2014)।

संदर्भ :- इस कार्यालय के पत्रांक 1784/12-1 दिनांक 09.02.2015 एवं पत्रांक 1965/12-1
दिनांक 25.02.2015 के क्रम में आप द्वारा प्रेषित ऑन लाईन प्रतिउत्तर।

महोदय,

इस कार्यालय के संदर्भित पत्र के क्रम में आप द्वारा वृक्षों से सम्बन्धित जो संशोधित सूची प्रेषित की गयी है उसमें वृक्षों को पुनः व्यास वर्गवार दर्शाया गया है जबकि पार्ट-2 की अपेक्षा के अनुरूप इन्हें **Girth Class Wise** दर्शाया जाना है। कृपया तदनुसार ही संशोधित सूची भेजें ताकि प्रस्ताव को अग्रसारित किया जा सकें।

आपका प्रेषित प्रस्ताव मूल में वापस किया जा रहा है।

संलग्न- उपरोक्तानुसार।

o/c

भवदीय

(संतोष विजय शर्मा)

वन संरक्षक,

उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा।

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, पिथौरागढ़ वन प्रभाग, पिथौरागढ़।

e-mail: dfo_pith_uta@yahoo.com

दूरभाष / फ़ैक्स नं०- (05964) 225234

पत्रांक 2377 /12-1 दिनांक, 10-3-2015 पिथौरागढ़,
सेवा में,


वन संरक्षक,
उत्तरी कुमौऊ वृत्त,
उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा।

विषय:- चर्मा-जौरासी मोटर मार्ग का प्रस्ताव।
संदर्भ:- आपका पत्रांक 2043/12-1 दि० 2-3-2015।
महोदय,

उपरोक्त पत्र के क्रम में मांगी गयी सूचना पुनः अपलोड की जा रही है।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार।

भवदीय,



प्रभागीय वनाधिकारी
पिथौरागढ़ वन प्रभाग, पिथौरागढ़।

परियोजना का नाम-चर्मा-जौरासी-बजानी मोटर मार्ग 1.6542 हे०
निर्माण प्रस्ताव सं०-7840/2014

प्रस्तावित मोटर मार्ग से ग्रामवासियों को यातायात की सुविधा प्राप्त होने के उद्देश्य से उक्त 1.6542 हे० वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव संस्तुति सहित अग्रसारित किया जाता है। प्रस्तावक विभाग को भारत सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा लगाई गई सभी शर्तों का पूर्णतया अनुपालन सुनिश्चित करना होगा।

प्रभागीय वनाधिकारी,
पिथौरागढ़ वन विभाग, पिथौरागढ़।

LETTER

परियोजना का नाम:- जनपद पिथौरागढ़ में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत में प्रस्तावित चर्मा-जौरासी मोटर मार्ग का नव निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

प्रभावित होने वाले वृक्षों का विवरण

उक्त मोटर मार्ग से प्रभावित होने वाले वृक्षों की सूची वन भूमि प्रस्ताव में दर्शायी गयी है जिसे Girth class wise के आधार पर बनाये जाने पर प्रभावित होने वाले वृक्षों की सूची निम्नप्रकार है:-

क्र०सं०	प्रजाती	Girth Class				योग
		31-60	61-90	91-120	120 से अधिक	
1	बांज	32	12	6	0	50
2	काफल	36	19	2	0	57
3	बुरांश	13	0	0	0	13
4	अयार	1	0	0	0	1
5	चीड़	26	25	4	10	65
6	जामुन	1	0	0	0	1
7	धयार	1	0	0	0	1
8	तिमुल	1	0	0	0	1
9	मेहल	5	0	0	0	5
10	उतीस	2	0	0	0	2
11	कुकाट/अंगयार	8	0	0	0	8
योग:-						204

नोट:- 212 वृक्ष 0-30 Girth से कम के वृक्षों को उपरोक्त सूची में सम्मिलित नहीं किया गया है।



प्रभागीय वनाधिकारी,
पिथौरागढ़।